



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना कोतवाली बागपत

दिनांक 11.06.2026

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 371/2026 धारा 103(1)/238 बीएनएस से सम्बन्धित 03 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, जिनकी निशांदाही पर घटना में प्रयुक्त एक मोटर साईकिल हीरो स्प्लेण्डर UP-17AB-9556 बरामद ।

### संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 10.06.2026 को वादी श्री रविन्द्र पुत्र बिशनपाल सिंह निवासी ग्राम सिसाना थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ने लिखित तहरीर दी कि अभियुक्तों 1- काला उर्फ यश पुत्र सुभाष, 2- सुमित पुत्र अजीत सिंह, 3- सागर पुत्र गुलाब, 4- सन्दीप पुत्र धनीराम निवासीगण ग्राम सिसाना थाना कोतवाली बागपत द्वारा उसके भाई रिनू उम्र 24 वर्ष की हत्या कर उसके शव को ग्राम सिसाना में प्लाट में



खडी बस में छिपा दिया गया । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली बागपत पर मु0अ0सं0 371/26 धारा 103(1)/238 बीएनएस पंजीकृत किया गया ।

### कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 371/26 धारा 103(1)/238 बीएनएस से सम्बन्धित 03 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनकी निशांदाही पर घटना प्रयुक्त एक मोटर साईकिल UP-17AB-9556 बरामद की गई।

### बरामदगी-

- घटना में प्रयुक्त एक मोटर साईकिल स्प्लेन्डर प्लस नं0 UP-17AB-9556

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1- प्र0नि0 श्री ब्रजेश कुमार थाना कोतवाली बागपत ।
- 2- उ0नि0 श्री सत्यम जंघाला थाना कोतवाली बागपत ।
- 3- उ0नि0 श्री अंकित कुन्तल थाना कोतवाली बागपत ।
- 4- उ0नि0 श्री महेन्द्र सिंह थाना कोतवाली बागपत ।
- 5- है0का0 491 रामकुमार थाना कोतवाली बागपत ।
- 6- है0का0 339 राकेश थाना कोतवाली बागपत ।
- 7- है0का0 351 पवन नागर थाना कोतवाली बागपत ।
- 8- का0 467 टिंकू थाना कोतवाली बागपत ।
- 9- का0 165 संदीप थाना कोतवाली बागपत ।
- 10- का0 44 संजीव थाना कोतवाली बागपत ।



प्रेस नोट

थाना कोतवाली बागपत

दिनांक 11.06.2026

ऑपरेशन स्माइल के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने गुमशुदा बच्चा को अथक प्रयास के बाद 03 घण्टे के अन्दर सकुशल बरामद कर उसके परिजनों को किया सुपुर्द ।

**संक्षिप्त विवरण:-**

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में चलाये जा रहे ऑपरेशन स्माइल के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने गुमशुदा बच्चा को अथक प्रयास के बाद 03



घण्टे के अन्दर सकुशल बरामद कर उसके परिजनों को सुपुर्द किया गया ।

परिजनों द्वारा बागपत पुलिस का आभार प्रकट करते हुए भूरि-भूरि प्रशंसा की गयी।

**बरामद करने वाली पुलिस टीम-**

1-है0का0 351 पवन नागर थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।

2-म0का0 593 अनिता थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।



प्रेस नोट

थाना खेकडा

दिनांक 11.06.2026

थाना खेकडा पुलिस ने उ0प्र0 पुलिस आरक्षी नागरिक पुलिस सीधी भर्ती में चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण/कार्यवाही-

दिनांक 10.06.2026 को थाना खेकडा पर वादी उमेश कुमार केन्द्र व्यवस्थापक गांधी विधालय इण्टर कॉलिज खेकडा (बागपत) द्वारा लिखित तहरीर दी गई कि अभियुक्त सौरभ सिंह पुत्र भूदेव सिंह निवासी खुर्द खेडा दहली थाना गभाना जनपद



अलीगढ़ द्वारा धोखाधड़ी से छल के प्रयोजन से कूटरचित दस्तावेजों को कपटपूर्वक असली के रूप में प्रयोग करते हुए भिन्न-भिन्न तिथियों पर अपनी जन्मतिथि बदलकर उ0प्र0 पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस एवं समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती -2025 परीक्षा देते हुए उ0प्र0 सार्वजनिक परीक्षा अधि0-2024 के नियमों का उल्लंघन करते हुए पकड़ा गया है। इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना खेकडा पर मु0अ0सं0 186/26 धारा 318(4)/336(3)/340(2) बीएनएस व 8/13(5) उ0प्र0 सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम पंजीकृत किया गया है एवं अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

सौरभ सिंह पुत्र भूदेव सिंह निवासी खुर्द खेडा दहली थाना गभाना जनपद अलीगढ़।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

कैलाश चन्द्र केन्द्र पुलिस प्रभारी ।





प्रेस नोट  
थाना दोघट

दिनाँक- 11.06.2026

थाना दोघट पुलिस ने चैकिंग के दौरान एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार,  
जिसके कब्जे से एक अवैध तमंचा .315 बोर बरामद ।

### कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं चलाये जा रहे ऑपरेशन शस्त्र के अन्तर्गत थाना दोघट पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से एक अवैध तमंचा .315 बोर बरामद हुआ है।

उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना दोघट पर मु0अ0सं0 174/2026 धारा 3/25

आम्स एक्ट पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।



महत्वपूर्ण सूचना:- बागपत पुलिस द्वारा सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति अवैध असलाह का प्रयोग न करे तथा अवैध व लाइसेन्सी असलाह का प्रदर्शन न किया जाए। यदि ऐसा कोई भी प्रकरण संज्ञान में आता है तो उसके विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।

### गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

मोईन पुत्र मौहम्मद निवासी ग्राम फौलादनगर थाना दोघट जनपद बागपत।

## बरामदगी का विवरण-

- एक अवैध तमंचा .315 बोर ।

## गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ०नि० वीरेन्द्र सिंह थाना दोघट जनपद बागपत ।

2-है०का० 808 गोविन्द कुमार थाना दोघट जनपद बागपत ।

